झारखंड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या–.....04/2019

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–1337 दिनांक–14.03.19 के आलोक में निदेशक, अभियोजन के एकल पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हत्ताधारियों से विहित–प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

1. **वेतनमान** :– Pay Matric Level 13 (As per 7th PC) Vide Planning cum Finance Dept. Resolution no. 217/F dt. 18-1-2017 Rs. 1,23,100/- P.B. II 37400-67000 (ii) Grade Pay : 8700 (As per 6th PC)

2. **आवश्यक योग्यताः**– विधि स्नातक।

   (क) अनुभवः–

   (i) अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत विशेष रूप से अभियोजन क्षेत्र में विधि व्यवसायी (Prosecution Lawyer) के रूप में लगातार कार्य करने का कम–से–कम (15) पन्द्रह वर्षों का अनुभव प्राप्त हो अथवा उप निदेशक अभियोजन के पद पर कम–से–कम (03) तीन वर्षों तक झारखण्ड राज्य में कार्य कर चुका हो।

   (ii) व्यावसायिक क्षेत्र (विधि व्यवसाय) में कार्य करने का स्वच्छ सेवा इतिहास हो।

   नोटः– अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत विशेष रूप से विधि व्यवसाय (Prosecution Lawyer) लगातार कार्य करने का कम–से–कम कुल (15) पन्द्रह वर्षों के लिए जिला अनुमण्डल बार एसोसिएशन अथवा संबंधित लोक अभियोजक के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित जिला दण्डाधिकारी अथवा संबंधित उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के आधार पर संबंधित महाधिवक्ता द्वारा निर्गत/प्रदत्त अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अभियोजन सेवा में कार्यरत अभियोजकों को राज्य स्तरीय नियंत्री विभाग/निदेशालय निर्गत/प्रदत्त अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

   उम्रसीमाः– दिनांक–01.08.2019 को सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 45 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष होगी।

3. चूँकि यह एकल पद है अतः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) एवं पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) के अभ्यर्थी अनारक्षित पद के विरूद्ध आवेदन दे सकते हैं परंतु उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

4. **चयन**– तीन अभ्यर्थियों के एक पैनल की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगी। आयोग नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो Jharkhand Public Service Commission, Rules of Procedure 2002 के Chapter-IV में "Recruitment by Selection" के अधीन होगा। उक्त चयन हेतु न्यूनतम अर्हतांक के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012 अनुमान्य होगा।

5. <u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश</u> :

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट–**www.jpsc.gov.in** से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

√(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों का समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :–

(i) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम. यथा; सचिन कुमार. इस प्रकार भरा जाय –

स	चि	न		कु	मा	र		

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा – AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :–

A	M	I	T		K	U	M	A	R		R	A	M		

(iii) उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(v) **आवेदक "शैक्षणिक योग्यता" के अधीन 'प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vi) आवेदक अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सकें।

(vii) यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा उसे क्रॉस (x) कर दें।

6. **फोटोग्राफ :–**

आवेदन पत्र पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

7. (i) <u>कदाचार (**Misconduct**) एवं इसके दुष्परिणामः–</u>

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they

8. **लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :–**

(i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित प्रतिया अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :–

1) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति,

2) आयु हेतु मैट्रिक का प्रमाण पत्र

3) मैट्रिक का अंक पत्र,

4) इण्टरमीडिएट का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,

5) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,

6) विधि स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,

7) जाति प्रमाण पत्र (परीक्षा शुल्क में छूट का दावा हेतु),

8) विधि व्यवसायी (Prosecution Lawyer) लगातार (15) पन्द्रह वर्षों का अनुभव अथवा उप निदेशक अभियोजन के पद पर कम–से–कम (03) तीन वर्षों तक झारखण्ड में कार्य कर चुके हैं का विज्ञापन की कंडिका से 2 के नोट में अंकित प्रावधानानुसार निर्गत प्रमाण पत्र।

9) झारखण्ड राज्य में कार्यरत कर्मियों के लिए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

10) विकलांगता को दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

11) अन्य संबंधित अभिलेख जो विज्ञापन के अनुरूप हो।

(ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

9. **परीक्षा शुल्क :–**

(i) परीक्षा शुल्क **Credit Card/ Debit Card/ Internet Banking/ SBI Buddy/ SBI UPI/ Other Payment Mode(Challan)** के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किया जायेगा जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(iii) **परीक्षा शुल्क में छूट–**

(a) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। परीक्षा शुल्क में छुट हेतु अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(b) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 2249 दिनांक– 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

(b) Impersonating, or

(c) Procuring impersonation by any person, or

(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

   (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
   (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
   (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभावः–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

d.1